

ई मेल / फ़ैक्स

संख्या-342-/2020-सीएक्स-3

प्रेषक

राजेन्द्र कुमार तिवारी  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

Sey. Disants Management

सेवा में,

सचिव,  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,  
नार्थ ब्लॉक,  
नई दिल्ली-110001

Chief Secretary  
Jharkhand. Ranchi

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक:30 अप्रैल, 2020

विषय: कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, गृह मंत्रालय की गाईड-लाइन्स दिनांक 15.04.2020 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश द्वारा नोडल विभाग एवं नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र/आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29 अप्रैल 2020 के क्रम में लॉक-डाउन अवधि में अवरूद्ध प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के आवागमन/संचालन के निराकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य से गृह विभाग को नोडल विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर	ई-मेल
श्री अवनीश कुमार अवस्थी	अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन	2226091 2226092 2238291 9454405001	psecup.home@nic.in

मुख्य सचिव कार्यालय  
आरखण्ड, राँची  
न.स.पे.सं. 2481  
दिनांक 02/05/2020

862  
03-05-2020  
मुख्य सचिव कार्यालय  
आरखण्ड, राँची

भवदीय,  
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)  
मुख्य सचिव

संख्या-342(1)/2020-सीएक्स-3, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
- (2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- (5) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (7) पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विसेज, उ०प्र०।
- (8) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- (9) अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ०प्र०।
- (10) समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन।
- (11) समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेन्ज।
- (12) समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।

आज्ञा से,



( अमिताभ त्रिपाठी )

विशेष सचिव।